बालश्रम एवं संवैधानिक प्रावधान

* व्ही. आर. लोहानी

शोध पत्र – राजनीति विज्ञान

भारतीय समाज के माथे पर चिंता की एक बात अवश्य रेखांकित नजर आती है कि 14 वर्ष से कम आयु के अनेक बच्चो को जिन्हे विद्याध्ययन के लिये पाठशालाओं में होने चाहिए तथा अपने व्यक्तित्व के विकास के लिये खेल के मैदान में होने चाहिये, वे विवश होकर मजदूरी करने में अपना बाल्यावस्था गुजार रहे है। हमारी सरकार के हर संभव प्रयासों के बावजूद बाल श्रमिकों की संख्या कम होती नजर नहीं आ रही है। यही बात अन्तर्राष्ट्रीय समाज के लिये भी कमोबेश लागू होती है।

बाल श्रम की समस्या विश्व समाज के समक्ष चुनौतीपूर्ण तो है किन्तु इसका निवारण असम्भव है ऐसी बात नहीं है। यदि समाज के विवेकशील सम्पन्न व्यक्ति एवं समाज सेवी संगठनो द्वारा दृढ़ निश्चय कर लिया जाय कि वे अपने आस–पास के 14 वर्ष से कम आयु के हर बच्चे को स्कूल में देखना चाहते है तो भले ही बच्चो के गरीब परिवार को आर्थिक सहायता देनी पड़े, समस्या का समाधान हो सकता है। इसी उद्देश्य से स्थानीय स्तर पर स्वयंसेवी संगठन भी बनाकर समस्या के समाधान हेतु प्रयास किया जा सकता है।

बाल श्रम का अर्थ – बाल श्रम का अर्थ उस परिस्थिति से लिया जाता है जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, शिक्षा, सुरक्षा, मनोरंजन एवं आराम के स्थान पर अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक कार्य करते है। विभिन्न संगठनों एवं विभिन्न देशों द्वारा बाल श्रमिकों की आयु अलग–अलग निर्धारित की गयी है। उदाहरण –संयुक्त राष्ट्र संघ 18 वर्ष, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 15 वर्ष, ब्रिटेन में 13 वर्ष एवं अमेरिका में 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा किये गये कार्य को बाल श्रम माना जाता है। बाल श्रम तब शोषण का रूप धारण कर लेता है जब बच्चे कम उम्र में काम करते हो, कार्यावधि अधिक हो, जोखिम भरा कार्य कर रहे हों, मजदूरी बहुत कम हो।

बाल श्रम के कारण – (1) बेरोजगारी की समस्या (2) प्रबुद्ध धनी व्यक्तियों की उदासीनता (3) जनसंख्या वृद्धि (4) अशिक्षा (5) अंधविश्वास (6) गरीबी (7) अज्ञानता (8) सामाजिक कुरीतियॉ (9) शहरो में पलायन (10) पुंजीपतियों की धन कमाने की प्रवृत्ति (11) बड़े परिवार (12) आय के साधन की कमी (13) बच्चों को सही मार्गदर्शन का अभाव (14) आुधनिक फैशन (15) बच्चों का तुलनात्मक नजरिया।

बाल श्रम संबंधी संवैधानिक प्रावधान –

भारतीय संविधान में बाल श्रम की रोकथाम हेतु अनेक प्रावधानों का उल्लेख है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय समाज की अनेक बुराईयों को दृष्टिगत रखते हुए बाल श्रम की समस्याओं पर भी ध्यान केन्द्रित किया है। चूंकि संविधान सर्वोपरि कानूनी अभिव्यक्ति है जिसमें मूल अधिकारों संबंधी अध्याय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और बाल श्रम रोकने संबंधी प्रावध ाान इसी अध्याय में वर्णित है।

1. मूल अधिकारों संबंधी अध्याय क्रमांक 3 में अनुच्छेद क्रमांक 23 – इसके अंतर्गत बेगार पर पूर्ण निशेध लगा दिया गया है।
2. अनुच्छेद क्रमांक 24 – इस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि 14 वर्श से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी भी रोजगार में काम नहीं कराया जा सकता।
3. अनुच्छेद 39 (ई) – इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी बच्चे की कोमल उम्र का दुरूपयोग न हो इसका वि ोश ध्यान रखा जावे।
4. अनुच्छेद 39 (एफ) – राज्यो द्वारा ऐसी सुविधाअें एवं अवसरो की व्यवस्था की जावेगी जिससे बच्चे स्वतंत्रता एवं सम्मान के साथ स्वस्थ तरीके से विकसित हों।
5. अनुच्छेद 45 – 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चो को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है।

उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त समय–समय पर बच्चों से संबंधित अन्य कई कानून बनाए गये है जैसे –

1. बाल श्रम अनुबंध अधिनियम 1933–बाल श्रम को गिरवी रखना अवैध माना गया है।
2. बाल रोजगार अधिनियम 1936–बाल श्रम से संबंधित दोषो का निराकरण करना।
3. वर्ष 1939 को बालवर्ष के रूप में मनाया गया।
1. कारखाना अधिनियम 1948–14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कारखानों में काम करना वर्जित है।
2. खान अधिनियम 1952 –किशोरो से 4:30 घंटे से अधिक कार्य नहीं कराया जा सकता।
3. बाल श्रम प्रतिशेध एवं नियमन अधिनियम 1986 –इसके अनुसार 12 व्यवसायों और 49 जोखिम युक्त कार्यो में बच्चो को नहीं लगाया जा सकता।

उपरोक्त प्रावधानों एवं पारित अधिनियम के बाद भी भारत में बाल श्रमिकों की संख्या निम्नानुसार बनी हुई है जो अत्यंत चिंतनीय है –

क्रमांक	राज्य	बाल श्रमिकों की संख्या (लाखो में)
1	उत्तरप्रदेश	19.0
2	आंध्रप्रदेश	13.6
3	राजस्थान	12.6
4	बिहार	11.0
5	मध्य प्रदेश	11.60
6	पश्चिम बंगाल	8.57
7	तमिलनाडु	4.18
8	झारखण्ड	4.07
9	उड़ीसा	3.77
10	छत्तीसगढ़	3.64

बाल श्रम संबंधी समस्या के निवारण हेतु सुझाव – बाल श्रम की समस्या समाज के लिये एक कलंक है जिससे भविष्य के धुमिल होने की प्रबल आशंका है। इस समस्या के समाधान हेतु निम्न सुझाव दिये जा सकते है –

1. बहुआयामी नीतियो का निर्माण कर दीर्घकालीन एवं सतत प्रयास किया जाना आवश्यक है।
2. ग्रामीण क्षेत्रो में औद्योगिक एवं व्यावहारिक इकाईयों की स्थापना कर ग्रामीण क्षेत्रो से बाल मजदूरी का शहरो की ओर पलायन को रोका जाये।
3. बाल श्रमिकों से काम लेने वालो के लिये कानून में कठोर दण्ड का प्रावधान होना चाहिए।
1. गरीबी, अशिक्षा एवं बेरोजगारी पर नियंत्रण पाने हेतु दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास होना चाहिए।
2. बूढ़े, अपंग, बीमार अभिभावकों को जीवन यापन की सहायता देनी चाहिये।
3. जनसंख्या की वृद्धि को नियत्रित करने हेतु निष्पक्ष प्रयास होने चाहिये।
4. सामाजिक अपराध की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के प्रति लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश की जानी चाहिए।
5. रोजगार मूलक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये।
6. बाल श्रम से बने हुए सामानों का बहिष्कार किया जाना चाहिए।
7. समाज द्वारा बच्चों के प्रति अपनत्व की भावना व्यक्त होनी चाहिए।
8. गंदी बस्तियों के बच्चों की हिफाजत, जीवन रक्षा के विकास के समस्त पहलुओं के प्रति प्राथमिकता के साथ ध्यान देना चाहिये।
9. बाल श्रम के रोकथाम हेतु उपयुक्त वातावरण निर्मित किया जाना चाहिए।
10. पुलिस प्रशासन में श्रम विभाग हेतु स्वीकृत समस्त स्टाफ की नियुक्तियॉ होनी चाहिए।
11. समाज में अंधविश्वास एवं जातिवाद संबंधी जागरूकता हेतु प्रयास हो।
12. विकास कार्यक्रम योजना का लाभ बाल श्रम के परिवार के लिये निर्धारित होना चाहिये।

अंत में हम कह सकते है कि परिवार की गरीबी अशिक्षा, अज्ञानता तथा अंधविश्वास का फल बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। सरकार एवं सामाजिक संगठनों का प्रयास इस दिशा में पर्याप्त प्रतीत नहीं होता है।

अतः जनजागरूकता एवं दृढ़ निश्चय के साथ इस समस्या के समाधान हेतु प्रयास किया जाना चाहिये। क्योंकि कल के भविष्य यानी बच्चों को उनके समुचित विकास के अवसर प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार, समाजसेवी संगठनों एवं समस्त जनता की है। तभी हम आशा कर सकते है कि बालश्रम रूपी अमानवीय अन्याय से बच्चों को छुटकारा दिलाया जा सकता है।

*** सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान),ठा.छेदीलाल भाासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जांजगीर (छ.ग.)**

संदर्भ ग्रंथ

1. राजनीति विज्ञान – पुखराज जैन लोहानी विशु राम
2.. भारतीय संविधान – सुभाष कश्यप मो. 7828288161
3. An International Multi Disciplinary E-Journal, Page No. 438